(b) Nil.

(c) No, Sir, no such proposal from the State Government has been received.

(d) Question does not arise.

चीनी मिलों का अधिग्रहण

6517. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के उन चीनी-मिलों के नाम क्या हैं जिन्हें चीनी (उपक्रमों के अधिग्रहण) अधिनियम, 1978 के अधीन अधिगृहीत किया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि गोविंद राम शुगर महीदपुर मिल तथा जाओरा शुगर मिल ने किसानों का उनके गन्ने के मूल्य नहीं अदा किये थे;

(ग) यदि हां, तो कितनी राशी अभी भी बकाया है और ये मिल, अब अधिगृहीत हो जाने के बाद, किसानों को ईंख गन्ने का उक्त मूल्य कब तक अदा कर देंगे;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन मिलों ने किसानों को इनके गन्ने की बकाया राशि की अंशत: अदायगी ही की है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक मिल ने कितनी अदायगी की है?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन): (क) मध्य प्रदेश में चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहणन) अधिनियम, 1978 के अधीन किसी भी चीनी मिल को अधिकार में नहीं लिया गया है। तथापि, मध्य प्रदेश के जावरा और महीदपुर रोड में स्थित दो चीनी मिलों के प्रबन्ध को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन अधिकार में लिया गया है।

(ख) महीदपुर रोड और जावरा में स्थित चीनी मिलों के प्रबन्ध को जब अधिकार में लिया गया था, तब इन दो मिलों पर किसानों को देय गन्ने के मूल्य के भुगतान की राशि बकाया थी।

(ग) से (ङ). राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

जिन सरकारी कर्मचारियों की पत्नियों, पुत्रों अथवा पुत्रियों के पास अपने मकान हैं उनको सरकारी आवास का आवंटन

6518. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के पास अपने मकान हैं अथवा जिनकी अपनी पत्नियों, पुत्रों अथवा पुत्रियों के नाम अपने मकान हैं, उन्हें भी सरकारी क्वार्टर आवंटित किये जाते हैं और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) ऐसे केन्द्रीय कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो जनवरी से दिसम्बर, 1980 के दौरान सेवा-निवृत्त हुए हैं और उन्हें आवंटित क्वार्टर उनके पुत्रों/पुत्रियों को आवंटित कर दिये गये हैं; और

(ग) उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है 1980 के अन्त में क्वार्टरों की प्रतिक्षा सूची में थे?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह): (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी जिनके अपने नाम या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर उनके ड्यूटी के स्थान पर अपने मकान हैं, वे वर्तमान आदेशों के अनुसार सामान्य पूल वास के लिए पात्र हैं।

(ख) एक

(ग) 49,519